न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्याः –63 / 2016 प्रार्थना पत्र

GCMS No.–2016 / 00269

1. श्रीमति मेहरुन बी पत्नि कुतुबुद्दीन जी जाति मुसलमान उम्र 63 वर्ष निवासी चित्तौडी दरवाजा निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

.....प्रार्थी

बनाम

1. खतीजा बी पुत्री कुतुबुद्दीन निवासी चित्तौडी दरवाजा निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज० हाल मुकाम कमालुद्दीन जी नीलगर रिटायर्ड टीचर गांधी नगर पोस्ट ऑफिस के सामने भीलवाडा राज०

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब एवं उपपंजीयक महोदय निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र. अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955

उपस्थित :– 1– श्री नरेन्द्र वैष्णव – अधिवक्ता प्रार्थी
2– श्री अबरार अहमद – अधिवक्ता अप्रार्थी

:: निर्णय :: दिनांक :– 06.09.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थिया की ओर से विपक्षीगण के विरुद्ध एक वाद अंतर्गत धारा 88,188 आ०टी०एक्ट के तहत पेश कर दिया है जो आगे चलकर प्रार्थिया के पक्ष में डिकी होगा ऐसी पुरी संभावना है।यह कि प्रार्थिया की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजियात वाके मौजा नरसिंहगढ़ प०ह० बाडी तहसील निम्बाहेडा की खाता नं0 27 की आराजी नं0 224 रकबा 1.2000 हैक्टेयर लगानी 22 रुपये 80 पैसा स्थित है।

2. वादग्रस्त आराजियात प्रार्थिया के पति एवं विपक्षी नं० 1 के पिता कुतुबुद्दीनजी पिता अलानुर मुसलमान निवासी निम्बाहेडा के समय से चली आ रही है। कुतुबुद्दीन जी का देहान्त दिनांक 18 / 07 / 2008 को हो गया है। तथा प्रार्थिया का निकाह कुतुबुद्दीन जी से 8 / 10 / 2005 को सम्पन्न हुआ था तभी से प्रार्थिया उनकी विवाहीता पत्नि होकर उनके साथ रहती चली आ रही थी और वाद ग्रस्त आराजियात प्रार्थिया के पति कुतुबुद्दीनजी ने निकाह के बाद प्रार्थिया को मेहर के रुप में दी थी, तभी से वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थिया का प्रार्थिया के पति के साथ उनके जीवन काल से संयुक्त रुप से कब्जा चला आ रहा था ओर प्रार्थिया अपनी पति की सेवा चाकरी करती चली आ रही थी ओर उक्त सेवा चाकरी से खुश होकर प्रार्थिया के पति कुतुबुददीनजी ने अपने जीवन काल में वादग्रस्त भुमि एवं दिगर सम्पत्ति का एक वसीयत नामा दिनांक 18 / 02 / 2006 को दस रुपये के स्टाम्प पर निष्पादित करा कर अपने हस्ताक्षर कर, रुबरु. गवाहन, निष्पादीत करा कर प्रार्थिया को सुपुर्द किया था और प्रार्थिया का अपने पति के जीवन काल से वादग्रस्त भूमि पर शांतिपूर्ण तरीके से कब्जा चला आ रहा था ओर प्रार्थिया के पति कुतुबुद्दीन जी के देहान्त के बाद अकेले प्रार्थिया वादग्रस्त भूमि पर शांतिपूर्ण तरीके से काबिज होकर काश्त करती

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Scanned by CamScanner

चली आ रहा है। प्रार्थिया वादग्रस्त भूमि पर शांतिपूर्ण तरीके से अकेली काबिज होकर काश्त कराती चली आ रही है विपक्षी नं01 प्रार्थिया के पति स्व०कुतुबुद्दीनजी की पुत्री है, जो भीलवाडा नौकरी करती है और वही निवास करती चली आ रही है। प्रार्थिया अंगुठा छाप अनपढ व वृद्ध महिला है जिसका नाजायज फायदा उठाने की नियत से विपक्षी नं 01 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर वादग्रस्त भूमि कुतुबुद्दीन जी के देहान्त के बाद प्रार्थिया जो स्व० कुतुबुद्दीनजी की बेवा है उसको फोत बताकर अकेले अपने नाम दर्ज करा ली है। जिसकी कोई जानकारी प्रार्थिया को पूर्व मे नही थी प्रार्थिया को जैसे ही वादग्रस्त भूमि विपक्षी नं० 1 के नाम दर्ज होने की जानकारी मिली तो प्रार्थिया ने विपक्षी नं 01 को वादग्रस्त भूमि पुनः प्रार्थिया के नाम खातेदारी में घौषित करा कर दर्ज कराने हेतु कहा तो विपक्षी नं० 1 टाल चाल कर रही है और वादग्रस्त भूमि प्रार्थिया के नाम खातेदारी मे दर्ज कराने से इंकार हो गई है। तथा प्रार्थिया के हक हिस्से से भी इंकार हो गयी है। इसलिए प्रार्थिया वादग्रस्त आराजियात की घौषणा अकेले अपने नाम करा कर वादग्रस्त भूमि प्रार्थिया अपने नाम खातेदारी मे दर्ज कराने की अधिकारी है।

3. वादग्रस्त आराजियात पर प्रार्थिया अपने पति के देहान्त के बाद शांतिपूर्ण तरिके से लगातार बिना किसी बाधा के शांतिपूर्ण तरिके से काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है प्रार्थिया ने विपक्षी नं० 1 को वाद ग्रस्त आराजियात में अपना नाम खातेदारी मे दर्ज कराने हेतु कहा तो विपक्षी नं0 1 टाल चाल कर रही हे और नाम पर कराने से इंकार हो गयी है। तथा वादीया को उसके हक हिस्से व कब्जे की भूमि से जबरन बेदखल करेन पर आमदा है इसलिए प्रार्थिया विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित कराने की अधिकारी है।

4. वादग्रस्त आराजी मे प्रार्थिया के पति व विपक्षी संख्या 01 के पिता कुतुबुद्दीन जी पिता अलानुर जी के समय से चली आ रही है यह तथ्य स्वीकार कुतुबुद्दीन जी का देहान्त दिनांक 18.7.2008 को हो गया यह कथन भी स्वीकार तथा प्रार्थिया का विवाह कुतुबुद्दीन जी से होना स्वीकार है परन्तु यह कथन स्वीकार नही कि कुतुबुद्दीन जी ने वादग्रस्त आराजी प्रार्थिया को मेहर राशि के रूप मे दी थी। प्रार्थिया का वादग्रस्त आराजियात पर कभी भी कोई कब्जा कुतुबुद्दीन जी के जीवन काल मे नही रहा ना ही उनकी मृत्यु के बाद वादग्रस्त आराजी पर कोई कब्जा रहा है वादग्रस्त आराजी पर केवल विपक्षी संख्या 1 खतीजा का कब्जा उसके पिता के जमाने से पिता के साथ व पिता कुतुबुद्दीन जी की मृत्यु के बाद अकेले एकमात्र स्वामी के रूप में चला आ रहा है। प्रार्थिया ने कभी भी कुतुबुद्दीन जी की सेवा चाकरी नही की विपक्षी संख्या 01 ने ही अपने पिता कुतुबुद्दीन जी की सेवा चाकरी की है कुतुबुद्दीन जी के जीवनकाल मे उनकी पुत्री खतीजा ही उनकी देख रेख सार संभाल करती थी। कुतुबुद्दीन जी ने अपने जीवन काल मे कोई वसीयत नामा दिनांक 18.02.2006 को दस रूपये के स्टाम्प पर प्रार्थिया के पक्ष में नही किया प्रार्थिया जिस वसीयत नामे का हवाला दे रही वह पुर्ण रूप से फर्जी व बनावटी है। प्रार्थिया का वादग्रस्त आराजियात पर कभी भी कोई कब्जा ना तो कुतुबुद्दीन जी के जीवनकाल मे रहा ना ही कुतुबुद्दीन जी की मृत्यु के बाद रहा वादग्रस्त आराजियात पर कब्जा प्रार्थिया का ही चला आ रहा है। इस प्रकार चरण संख्या 3 सम्पुर्ण रूप से अस्वीकार है।

5. प्रकरण दर्ज किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी क्रमांक 1 की और से अधिवक्ता श्री अबरार अहमद ने वकालतनामा मय जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । विपक्षी संख्या 2 अपना जवाब प्रस्तुत नहीं करने से जवाब बन्द किया गया। बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। उभयपक्ष के अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने का निवेदन किया।

5. उपर्युक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 212 के आलोक में सर्वप्रथम अस्थाई निषेधाज्ञा के कानूनी बिन्दुओं विश्लेषण प्रकरण के तथ्यों के

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Scanned by CamScanner

मद्देनजर आवश्यक प्रतीत होता है। किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष सिद्ध करने हेतु तीन महत्वपूर्ण व अपरिहार्य बिन्दु है । हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 212 के आलोक में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दुओं को विश्लेषण किया। तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित होते है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला एवं अपूरणीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में साबित हुए हैं। जिसे न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

–:आदेश:–

पत्रावली का अवलोकन किया गया उभयपक्ष के लायक अभिभाषकगण की बहस पर गोर किया। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में साबित हो रहे है अतः प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित होने से स्वीकार किया जाता है। यह प्रार्थना पत्र हक अधिकार का अंतिम निधारण करता है हक अधिकार का प्रश्न वाद शहादत मूल वाद मे तय होगा तब तक मूल वाद के निस्तारण तक विपक्षीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि वाके मौजा नरसिंहगढ पटवार हल्का बाडी के आराजी नम्बर 224 रकबा 1.20 हैक्टेयर भूमि की मूल वाद के निस्तारण तक मौके की यथास्थिति बनाए रखे।खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 06.09.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेडा
सहायक कलक्टर
निम्बाहेडा

Scanned by CamScanner